

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>04 ¹⁹/₁₉ पत्रावली पत्रा हुई। वकालत फरिफन जज/अनुसूचित पीठाधीन अधिकारी के /अन्य पत्रों में पत्रा पत्रावली अभिप कार्यवाही हेतु दिनांक 05/2/19 को पत्रा हो।</p> <p>05 ¹⁹/₁₉ पत्रावली पत्रा हुई। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 व 4 की तारीख पूर्व में मन्तव्य- कय के लेखा लोदी से वापस मन्तव्य तारीख उक्त प्रतिवादी वादी की ओर से हाजि अजल नदी- आपस में मन्तव्य सं. 1 व 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही असल में लगे जाते हैं। वकील वादी ने मुद्दा परीक्षण अर्थात् PW-1 व PW-2 के शपथ पत्र पत्रा उक्त को शामिल पत्रावली किसे सं. 1 वाक्ये वरत पत्रावली- 13/02/19 06-02-2019 को पत्रा हो।</p> <p>06 ¹⁹/₁₉ पत्रावली पत्रा हुई। वकालत फरिफन जज/अनुसूचित पीठाधीन अधिकारी के /अन्य पत्रों में पत्रा पत्रावली अभिप कार्यवाही हेतु दिनांक 10/3/19 को पत्रा हो।</p> <p>10 ¹⁹/₁₉ पत्रावली पत्रा हुई। वकालत फरिफन जज/अनुसूचित पीठाधीन अधिकारी के /अन्य पत्रों में पत्रा पत्रावली अभिप कार्यवाही हेतु दिनांक 18/4/19 को पत्रा हो।</p> <p>18 ¹⁹/₁₉ पत्रावली पत्रा हुई। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 2 व 3 उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादी मुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों की दोहराते हुए प्रकरण में हुए शजीनामा के मुताबिक दावा दित्री फरमाया जाने का निवेदन किया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजपत्र</p>	

रेकार्ड, पेशाबुदा राजीनामा एवं मुख्य परीक्षण बाबत पेशा छिने ग्रामे शपथ-पत्रों का अवलोकन छिया गया।
 प्रुक्ति प्रतिवादी सं० 2 व 3 ने न्यायालय हाजा के ममदु उपस्थित छेडर विवादित भूमिओं बाबत जरिए राजीनामा वादी के दावे को स्वीकार छिया है तथा प्रतिवादी सं० 1 बावजूद सम्मूह तामील हाजिए अदालत मदी आया है, जिसमे प्रतिवादी सं० 1 की वादी के दावे के प्रति मौन स्वीकृति को प्रकट करण है। अतः वाद, वादी स्वीकार छिया जाइर घोषणा की जाती है कि :-

आदेश

तन ग्राम लोहरवाड़ा तहसील खण्डेला जिला खीठर (राज) अवस्थित कृषि भूमि ख० नं० 61, 78, 110 व 118, 120, 121 रकबा 16.0400 हे० में से प्रतिवादी सं० 1 का उ के नाम दर्ज हिस्सा 23/72 में से 1/3 हिस्सा का वादी को, 1/3 हिस्सा का प्रतिवादी सं० 1 को एवं 1/3 हिस्सा दर हिस्सा का प्रतिवादी सं० 2 व 3 को जोतदार करण कार घोषित छिया जाण है एवं ख० नं० 89, 90 रकबा 1.9700 हे० में से वादी सं० नाम दर्ज हिस्सा 1/2 सं० 1 को एवं 1/3 दर हिस्सा का प्रतिवादी सं० 2 व 3 को खातेदार कारण कार घोषित छिया जाण है।
 उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल देणमद हो तथा तदनुसार फर्च डिक्ली जारी हो। फतावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तहसील दाखिल स्थर हो।
 निर्णय पूर्व न्यायालय में सुनाया गया।

8/18/19
 उपस्थित अधिकारी
 खेला (सीकर)

* पुत्र मूटा जाति जाट निवासी ग्राम लोहवाडा तहसील
खण्डेला जिला सीकर (राज.)

- वादी

विलह

* ② शंकरलाल ③ सुरेश कुमार पुत्रगण स्व. पूरुषात्तम
जाति जाट निवासी ग्राम लोहवाडा तहसील खण्डेला
जिला सीकर (राज.)

④ भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर (राज.)

- प्रतिवादीगण

* खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं एवं ख. नं. 89, 90 एका 1.9700 है. में वादी के नाम दर्ज हिस्सा $\frac{1}{2}$ में से $\frac{1}{3}$ हिस्सा का वादी के, $\frac{1}{3}$ हिस्सा का प्रतिवादी सं. 1 के एवं $\frac{1}{3}$ एका हिस्सा का प्रतिवादी सं. 2 व 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दायम हो।



18/4/19
खण्डेला अधिकाारी
खण्डेला (सीकर)